



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06092021-229442
CG-DL-E-06092021-229442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]
No. 376]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2021/भाद्र 15, 1943
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2021/BHADRA 15, 1943

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर 2021

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2021
(2021 की सं. 3)

सं. एल-3(2)/विनियम-साधारण(संशो.)/2021/सीसीआई.—भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) के खंड 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में और संशोधन करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में, विनियम 14 के उप-विनियम (3) में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतर्वेशित होगा अर्थात्:

“परंतु यह कि अध्यक्ष, उक्त प्रयोजनार्थ, आयोग के अन्य अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकेगा।”

एस. घोष दस्तदार, सचिव
[विज्ञापन-III/4/Exty./239/2021-22]

टिप्पण: प्रधान विनियमों को भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना सं. आर- 40007/6/विनियम-साधारण/अधिसूचना/04/सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में इन्हें संशोधित करके भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2009-10/ सीसीआई, दिनांक 31 मार्च, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2009-10/सीसीआई, दिनांक 8 नवंबर, 2011 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2011/सीसीआई, दिनांक 7 अक्टूबर, 2013 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2013/सीसीआई, दिनांक 6 दिसंबर, 2018 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2018/सीसीआई, दिनांक 20 नवंबर, 2019 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2019/सीसीआई एवं दिनांक 6 फरवरी, 2020 की सं. एल-3 (2)/विनियम-साधारण (संशोधन)/2020/सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2021

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2021

(No. 3 of 2021)

No. L-3(2)/Regln-Gen. (Amdt.)/2021/CCI.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely:

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, in regulation 14, in sub-regulation (3), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that the Chairperson may also authorize other Officers of the Commission for the purpose.”

S. GHOSH DASTIDAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./239/2021-22]

Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* Notification number R-40007/6/Reg-General/Noti/04-CCI, dated the 21st day of May, 2009 and subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notifications number L-3(2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th August, 2009; number L-3(2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 20th October, 2010; number L-3(2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated the 31st March, 2011; number L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated the 8th November, 2011; number L-3 (2)/Regln.-Gen. Amdt./2013/CCI dated the 7th October, 2013; number L-3(2)/Regln.-Gen.(Amdt.)/2018/CCI dated the 6th December, 2018; number L-3 (2)/Regln.-Gen.(Amdt.)/2019/CCI dated the 20th November, 2019 and number L-3(2)/Regln.- Gen. (Amdt.)/2020/CCI dated the 6th February 2020.